न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्याः 22/2015
दर्ज दिनांकः 07/05/2015
निर्णय दिनांक :19/12/2017

1. चर्तुभुज पुत्र नारायण
2. श्रीलाल पुत्र नारायण

   जातियान जाट, निवासीः ग्राम कठमाणा, तहसील पीपलू, जिला टोंक।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. उपतहसीलदार माधोराजपुरा तहसील फागी, जयपुर।
3. गणेश पुत्र श्योकरण
4. रामजीलाल पुत्र गोपाल
5. खुशीराम पुत्र गोपाल
6. जगदीश पुत्र रामलाल
7. बद्री पुत्र रामलाल
8. रामदेव पुत्र औंकार
9. रामेश्वर पुत्र औंकार
10. रामधन पुत्र चंदा

    समस्त जाति जाट निवासीः कठमाणा, तहसील पीपलू, जिला टोंक।

11. गोपाल पुत्र सुजा
12. चर्तुभुज पुत्र सुजा
13. हजारी पुत्र सुजा
14. लादू पुत्र सुजा

    समस्त जाति जाट, निवासीः मोरडी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

15. हनुमान पुत्र मोहरू
16. दामोदर पुत्र मोहरू

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

समस्त जाति मीणा, निवासीः मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी, जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण रामधन व अन्य ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात व अप्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नंबर 672/2, 676/2, 681/2, 686/2, 683/1, 683/2, 691, 695/2 व 696/2 की तरमीम नहीं है प्रार्थीगण ने खसरा नंबर 672/2, खसरा नंबर 683/1 व खसरा नंबर 683/2 की तरमीम अवैध तरीके से मौके व कब्जे के विपरित तथा अप्रार्थीगण की जानकारी के बिना व बिना सहमति के करवाली है उक्त अवैध व गलत तरमीम को निरस्त करवाने के लिये अप्रार्थीगण की ओर से श्रीमान न्यायालय में उक्त गलत तरमीम को निरस्त करवाने का वाद पेश कर रखा है जिसका मुकदमा नंबर 80/15 उनवानी रामधन बनाम तहसीलदार फागी जिसमें प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 3 व 4 है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 6 लगायत 10 की सामलाती भूमि जिनमे से कई खसरा नंबरो की तरमीम नहीं है जिसमे खसरा नंबर 683/2, 686/2, 691, 696/2 व खसरा नंबर 683/3, 676/1 की तरमीम नहीं है जो पूर्व में तरमीम है वह गलत है जिसको तहसीलदार फागी द्वारा रामधन बनाम तहसीलदार में प्रस्तुत जवाब दावे में स्वीकार किया है कि उक्त खसरा नंबरो की रकबा बरारी करने पर रकबा कम बेसी है उक्त गलत तरमीम के आधार पर भी प्रार्थीगण पत्थरगढी का आदेश प्राप्त करना चाहते है जो न्यायोचित है। अप्रार्थीगण का वाद जो श्रीमान न्यायालय में उक्त गलत व अवैध तरमीम को निरस्त करवाने हेतु विचाराधीन है उक्त वाद के अंतिम निस्तारण तक उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढी में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना कानूनन न्यायोचित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद संख्या 80/15 के निस्तारण तक प्रार्थना

पत्र पत्थरगढी की कार्यवाही को स्थगित किया जाना कानूनन आवश्यक चूंकि गलत तरमीम के आधार पर पत्थरगढी का आदेश पारित होता है तो अनावश्यक विवाद व मुकदमेबाजी को बढावा मिलेगा एवं प्रार्थीगण न्याय से वंचित हो जायेगे इसलिये वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र पत्थरगढी को स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

वकील प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में यह कथन किये कि प्रार्थीगण जिन खसरा नंबरान पर पत्थरगढी करवाना चाहता है उनमे से कुछ खसरा नंबरो की तरमीम गलत हो रखी है जिसकी दुरूस्ती बाबत प्रार्थीगण ने एक अन्य वाद संख्या 80/15 रामधन बनाम तहसीलदार प्रस्तुत कर रखा है न्यायहित में वाद के निर्णित होने तक विचाराधीन प्रार्थना पत्र की कार्यवाही स्थगित फरमायी जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में यह कथन किये कि प्रार्थीगण जिस वाद संख्या 80/15 रामधन बनाम तहसीलदार का वर्णन कर प्रार्थना पत्र की कार्यवाही स्थगित करवाना चाहता है उन खसरा नंबर 676/2, 686/2 से प्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबरान का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अपनी आराजी पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने मात्र प्रार्थना पत्र प्रकरण मे देरी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जो निराधार होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी, जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी, वाद पत्रावली संख्या 80/15 रामधन बनाम तहसीलदार इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मैने यह पाया कि प्रार्थीगण ने वादग्रस्त खसरा नंबरान की प्रार्थना पत्र के माध्यम से पत्थरगढी करवानी चाही है।

वाद रामधन बनाम तहसीलदार एवं विचाराधीन प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 672/2 समान खसरा नंबर है जिस पर पक्षकारान द्वारा अपने अपने

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

वाद व प्रार्थना पत्र में तरमीम दुरूस्ती व पत्थगरढी करवानी चाही है। प्रकरण का विधिसंगत न्यायनिर्णय हो सके इस हेतु मेरे विनम्र मत में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर इस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही, वाद संख्या 80/15 रामधन बनाम तहसीलदार व अन्य के अंतिम निर्णय तक स्थगित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)